

तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में विवादित आराज संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किया जाना न्यायोचित है।

अतः उभयपक्ष को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता उभयपक्ष आगामी पेशी तारीख तक वादग्रस्त आराजीयात वाके मौजा निम्बाहेडा निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा में खाता सं0 125 की आराजी नं0 2294,3165/2297,3168/2297,2298,2299 कुल किता 3 कुल रकबा 0.1500 हैक्टेयर भूमि इसी प्रकार खाता संख्या 980 की आराजी नं0 2297,2298,2299 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4600 हैक्टेयर आराजीयात की मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण की तामिल रजिस्टर्ड डाक से करवाई जावे। विपक्षीगण को कोई एतराज हो तो वे अपना पक्ष/जबाब आगामी पेशी दिनांक 20.12.2021 को उपस्थित होकर पेश करें। विपक्षीगण को उक्त आशय का हुक्म इस्तनाई चन्द रोजा जारी किया जावें। पत्रावली वास्ते जबाब दिनांक 20.12.2021 को पेश हो।

पत्रावली आज भेजा हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित/धनुपरिचय एत डी ओ सां देर /बन्ध कार्य में बाध है। अतः पत्रावली हुक्म कविका दिनांक 21/12 का पेश है।

20/12

आज्ञा है

21/12 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर 155/2021
समस्त 20/12 होकर मूल वाद का उत्पादित कर
उक्त प्रार्थना पत्र में उक्त कार्य कार्रवाई
बही-चाहते हैं। प्रार्थना पत्र को इली
स्ट्र पर उत्पादित कर श्वारित किया
जाता है। पत्रावली फौजल शुमार होकर
बम्बत न कम है।

मानव्य (अस)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)